न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा
पीठासीन अधिकारी – श्री नरेश सोनी , आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 241 / 2021

वादी :– RAJTECH HOSPITALITY PRIVATE LIMITED, Plot No. 3, Amrapali Circle, Vaishali Nagar, Jaipur 302021 जरिये अधिकृत प्रतिनिधि श्री आलोक गुप्ता पुत्र श्री राधेश्याम गुप्ता जाति महाजन निवासी मुरलीपुरा जयपुर राजस्थान।

बनाम

प्रतिवादी :– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पचपदरा ।

राजस्व वाद पत्र वास्ते अधिकारों की घोषाणा अन्तर्गत धारा 88,राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितिः– 1. श्री करणसिंह वकील वादीगण।

निर्णय दिनांक :– 15.03.2022

वादी की और से प्रस्तुत वादपत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी का सरहद मौजा सिंधियों की ढाणी, पटवार हल्का पचपदरा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पचपदरा तहसील पचपदरा जिला बाडमेर के खसरा नंबर 1058 / 54 रकबा 7 बीघा किस्म बा.दो भूमि मैसर्स राजेटेक एग्रो प्लान्टेषन्स प्रा. लि. कंपनी के नाम से अवस्थित रही है। उक्त कंपनी, कंपनी रजिस्ट्रार विभाग से निगमित कंपनी रही है । वर्तमान में उक्त कंपनी का नाम रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में बदल कर RAJTECH HOSPITALITY PRIVATE LIMITED करवा दिया गया है जिसका पंजियन प्रमाण पत्र वाद पत्र के साथ संलग्न है। मैसर्स राजेटेक एग्रो प्लान्टेषन्स प्रा. लि.कंपनी का नाम बदल कर RAJTECH HOSPITALITY PRIVATE LIMITED करवा दिये जाने के उपरांत मैसर्स राजटे एग्रों प्लान्टेषस प्रा. लि. कंपनी के नाम खातेदारी की कृषि भूमियों में सुधार हेतु व अन्य दस्तावेजी प्रकियायें पूर्ण करने में समस्यायें उत्पन्न होने के कारण वर्तमान में राजस्व अभिलेखों में मैसर्स राजटेक एग्रो प्लान्टेषन्स प्रा.लि. कंपनी के नाम के स्थान पर RAJTECH HOSPITALITY PRIVATE LIMITED का नाम अंकित करने हेतु वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है।

वादी का वाद दर्ज कर प्रतिवादीगण को दिनांक 23.12.2021 को सम्मन जारी किये गये। प्रतिवादीगण को जारी सम्मन की रजिस्टर्ड रसीदे बाद तामिल के पेश हुई। सरकारी पैरोकार उपस्थित। तहसीलदार पचपदरा से इस सबंध में रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी की गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.09.17 15:31:26 IST
Reason: SelfAttested

(नरेश सोनी)
सहायक कलक्टर
(SDO) बालोतरा

...सीलदार पचपदरा से दिनांक कमांक/भू.अ/2022/285 दिनांक 16.02.22 को तहरीर प्राप्त हुई। तहसीलदार पचपदरा ने रिपोर्ट में जाहिर किया की ग्राम सिंधियों की ढाणी के खसरा संख्या 1052/57, 1053/57, 1054/57, 1055/57, 1056/57, 1059/57, 1058/57, 1060/57, 1061/57, 1062/57, 1063/57, 1064/57, 1065/57 कुल रकबा 95–05 बीघा transtech green power pvt. ltd. लाजपत मार्ग स्कीप बहक सुधीर व्यास वल्क बुद्वदेव व्यास जवाहर नगर जयपुर की कयशुदा खातेदारी भूमि थी जिनमें से खसरा संख्या 1057/57 रकबा 7–00 बा.दो. वैशाली नगर जयपुर को जरिये बेचान दस्तावेज 201903082100136 दिनांक 28.1.2019 को बेंचान कर दी गयी थी। वर्तमान में खसरान 1058/57 रकबा 7.00 बीघा ग्राम सिंधियों की ढाणी में मैसर्स राजटेक एग्रो प्लान्टेशन्स प्रा.लि. प्लाट नम्बर 03 अमरपानी सर्कल वैशाली नगर जयपुर बतौर खातेदार दर्ज है।

हमने वादी वकील व सरकारी पैरोकार की बहस को सुना व पत्रावली व वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेंजात की छाया प्रति, CERTIFIED TRUE COPY OF THE BOARD, CERTIFICATE OF INCORPORATION, Certigicate of Incorporation pursuant to change of name, जमाबदी संवत् 2071–2074 एवं तहसीलदार पचपदरा द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज में वादी की कम्पनी का सही व शुद्व नाम RAJTECH HOSPITALITY PRIVATE LIMITED है। तहसीलदार पचपदरा से मौके की जांच कर वादी के कम्पनी RAJTECH HOSPITALITY PRIVATE LIMITED सही होने मे किसी प्रकार की आपत्ति व्यक्त नही की हुई है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी के वाद को स्वीकार करने में किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

उपरोक्त विस्तृत विवेचन के अनुसार वादी के दावा को स्वीकार कर तहसीलदार पचपदरा को आदेशित किया जाता है मौजा सिंधियों की ढाणी, पटवार हल्का पचपदरा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पचपदरा तहसील पचपदरा जिला बाडमेर के खसरा नंबर 1058/54 रकबा 7 बीघा किस्म बा.दो भूमि मैसर्स राजेटेक एग्रो प्लान्टेषन्स प्रा. लि. कंपनी के नाम की जगह पर राज हितो के मद्देनजर रखते हुए नियमानुसार सही नाम RAJTECH HOSPITALITY PRIVATE LIMITED का [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.09.17 15:31:26 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर (SDO) बालोतरा
बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 15.03.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नरेश सोनी)
सहायक कलेक्टर
(SDO) बालोतरा